हैं और क्या यह सच है कि 1980 से 1983 तक की अवधि के दौरान इसकी एक भी बैठक नहीं हुई है तथा प्रधान मंत्री के अधीन किसी भी विभाग में हिन्दी सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है ;

(ख) क्या सरकार तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने का विचार रखती है जिसका उद्घाटन प्रधान मंत्री ने किया था ; और

(ग) प्रधान मंत्री के विभागों में राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए क्या-क्या कारगर कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीहार रंजन लास्कर) : (क) केन्द्रीय हिन्दी समिति नवम्बर, 1981 में गठित कर दी गई है। प्रधान मंत्री के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया जा चुका है ।

(ख) तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन, एक स्वैच्छिक संस्था, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा आयोजित किया गया था। सम्मेलन द्वारा पारित किये गये प्रस्तावों के कार्यान्वयन के संबंध में जानकारी नोडल मिनिस्ट्री शिक्षा मंत्रालय से सूचना प्राप्त होने पर उपलब्ध कराई जायेगी ।

(ग) अपेक्षित जानकारी एकत्र करके सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पंजाब में हिंसक घटनायें

329. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब की हिंसक घटनाओं में अब तक कितने लोग मारे गये हैं और सरकार पंजाब में शांति स्थापित करने के लिये क्या कदम उठा रही है क्योंकि ये हिंसात्मक गतिविधियां दिल्ली तक पहुंच गई हैं और बहुत से नेताओं को धमकी दी गई है ;

(ख) क्या सरकार इस पर काबू पाने के लिये कड़े कदम उठाने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) 1-8-81 से 6-11-83 तक की अवधि के दौरान पंजाब में हिंसक घटनाओं में 124 व्यक्ति मारे गये । पंजाब में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को राज्य में हिंसक गतिविधियों को रोकने और शांति की स्थिति बनाये रखने के लिए पंजाब विक्षुब्ध क्षेत्र अध्यादेश, 1983 के अधीन अतिरिक्त शक्तियां दी गई हैं । ऐसी गतिविधियों को रोकने में, आवश्कता पड़ने पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करने के लिए सशस्त्र बलों को सशस्त्र बल पंजाब (तथा चंडीगढ़) विशेष शक्तियां अध्यादेश 1983 के अधीन विशेष शक्तियां भी दी गई हैं । प्राधिकारियों ने कुछ कदम उठाए हैं जिनमें आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस के विशेष दस्ते तथा चलती फिरती गश्त नाकाबन्दी का आयोजन और पुलिस की गश्त तेज करना शामिल है ।

आरक्षण नीति की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

330. **श्री राम भगत पासवान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आरक्षण नीति की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के

the comparative loss suffered by FCI during the years 1985, 1986 and 1987;

(c) what are the main reasons identified by Government for the con tinuous losses incurred by FCI; and

(d) what remedial measures are being contemplated by Government to improve its working?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF FERTILIZERS IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. PRABHU): (a) to (d) Although no comparative analysis of the working of the Fertilizer Corporation of India (FCI) has been made, Government had set up a Task Force on 27.6.1986 under the Chairmanship of Shri Paul Pothen to go into the working of Hindustan Fertilizer Corporation and FCI. The main reasons for the losses incurred by FCI are low capacity utilisation due to frequent equipment break, down, power problems, design deficiency etc. The remedial measures include closure of Sindri Rationalisation plant and writing of its losses, revamp and rehabilitation of Rania-gundam and Talcher plants in the light of Krupp Kopper's report, re-vamping and technology upgradation of the'Urea plant at Gorakhpur, etc.

Capacity increase in Tata Iron and Steel Company

365. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of STEEL AND MINES he pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration for approval of capacity increase in Tata Iron and Steel Company; and

(b) whether any change in technology is also involved?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF STEEL IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI YOGENDRA MAK-WANA): (a) and (b) TISCO have submitted a proposal to Government for an In principle approval to further modernise their steel plant at Jamshedpur. The proposed modernisation is expected to result in expansion of present capacity of 2.1 Million Tonne to a capacity of 2.7 Million Tonne of saleable steel. The proposal also envisages some technological improvements.

Amendment of the Factories Act

366. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have,re-ceived any suggestion for amendment of the Factories Act; and

(b) if so, what are the major amendments suggested and Govern-ment's reaction thereto?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI BINDESHWARI DUBEY). (a) and (b) The Factories Act, 1948 was amended during the Budget Session 1987. After the amendments had been made, representations, were received from certain organisations of employers seeking further amendments to the Act. The suggestions mainly related to amendment to the definition of 'Occupier'. Grant of exemption to small scale industries from the provisions of the Act reduction in penal provisions, safeguards against misuse of powers by Inspectors, etc.

The Act has been amended to provide for safer and better working conditions and environment in the factories. The Government are not in favour of amending the provisions of the Act.

Subsidies for rice and wheat

367. SHRI ALADI ARUNA alias V. ARUNACHALAM- Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLD3S be pleased to state:

(a) what is the rate of subsidy per quintal granted for rice and wheat